

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

**अन्तिम वाद डिक्री**

राजस्व वाद संख्या :- 25/2015 (शीशराम बनाम भानीराम वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 31.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2025/1147 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.07.2025 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम भारू का बास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 58, 59, 60, 63, 78 कुल किता 5 कुल रकबा 11.44 है0 भूमिका निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है0 में)	भूमि किस्म
1	भानीराम पुत्र श्योकरण जाति जाट सा. देह खातेदार	58/1	0.84	बा.1
		60/1	0.27	बा.1
		63/1	1.63	बा.1-0.64, बा.2-0.99
		78/1	0.93	बा.2
		किता-4	3.67	-
2	रामनिवास पुत्र श्योकरण जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा अलसीसर	58/2	0.85	बा.1
		60/2	0.28	बा.1
		63/2	1.61	बा.1-0.64, बा.2-0.97
		78/2	0.93	बा.2
		किता-4	3.67	-
3	शीशराम पुत्र श्योकरण जाति जाट सा. देह खातेदार	58/3	0.84	बा.1
		60/3	0.27	बा.1
		63/3	1.62	बा.1-0.40, बा.2-1.22
		78/3	0.93	बा.2
		किता-4	3.66	-
4	भानीराम शीशराम पिता श्योकरण हि0 2/3 जाति जाट सा. देह खातेदार रामनिवास पुत्र श्योकरण हि0 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा अलसीसर	59	0.23	गै0मु0रास्ता
		63/4	0.12	गै0मु0रास्ता
		78/4	0.09	गै0मु0रास्ता
		किता-3	0.44	-

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.07.2025 को जारी की गई।



*(पंकज शर्मा)*  
पंकज शर्मा  
उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर